भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2103

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

शक्ति सदन योजना

2103. सुश्री एस.जोतिमणि:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शक्ति सदन योजना का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त योजना में लाभार्थियों की संख्या कितनी है और इसके तहत कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) देश में स्थापित उक्त शक्ति सदनों की राज्य-वार और तमिलनाडु में जिला-वार, विशेषकर करूर जिले में, संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास आज की तिथि तक उक्त योजना के अंतर्गत व्यावसायिक एवं कौशल प्रशिक्षण प्रदत्त महिलाओं की संख्या का कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय द्वारा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति सदन योजना के कामकाज/पहुंच में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): पूर्ववर्ती योजनाएँ 'स्वाधार गृह' – कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए गृह तथा 'उज्ज्वला' – दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं के लिए गृह को दिनांक 01.04.2022 से व्यापक 'मिशन शक्ति' में शामिल कर दिया गया हैं और अब इन्हें 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है, जो दुर्व्यापार की गई महिलाओं सहित संकटपूर्ण

परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है। इसका उद्देश्य ऐसी कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। शक्ति सदन संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता, और दुर्व्यापार से प्रभावित महिलाओं को आश्रय तथा पुनर्वास सहायता प्रदान करने में सहायक है।

शक्ति सदन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों की है। निधियाँ, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) या एसएनए स्पर्श के लिए व्यय विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर जारी की जाती हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकता का आकलन करते हैं और इनके साथ विचार-विमर्श के बाद प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रस्तावों को अनुमोदित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, किराए के परिसरों में शक्ति सदन के संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मंत्रालय समय-समय पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भौतिक एवं वर्चुअल बैठकों, मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरों तथा डिजिटल साधनों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, शक्ति सदनों की निगरानी के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने तैनात कर्मचारियों, लाभार्थियों, स्थान संबंधी विवरण (अक्षांश और देशांतर), भौतिक अवसंरचना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आईसीटी अवसंरचना, आयोजित क्रियाकलापों, लाभार्थियों को प्रदान की गई सुविधाओं इत्यादि जैसे विवरण दर्ज करने के लिए समर्पित मिशन शक्ति डैशबोर्ड विकसित किया है।

मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है और अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) और महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यू) के माध्यम से कार्य करता है, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक या निजी स्थानों दोनों स्थानों पर महिलाओं को पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल, कानूनी सेवाओं आदि जैसे उपयुक्त प्राधिकरणों से जोड़कर 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। इन उपायों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के बीच जागरूकता पैदा करने की दिशा में कार्य किया जाता है।

वर्तमान में, देश भर में 433 शक्ति सदन कार्यशील हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक योजना के अंतर्गत लगभग 35,300 महिलाओं को

व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शक्ति सदन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए जारी की गई निधि और लाभार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**2024-25**		**2025-26**	
	जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)	**लाभार्थियों की संख्या**	**जारी की गई निधि (करोड़ रुपए में)**	**लाभार्थियों की संख्या**
कुल	84.98	28,263	87.39	42,822

कार्यशील शक्ति सदनों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र -वार सूची **अनुलग्नक-I** में दी गई है। तमिलनाडु राज्य में कार्यशील शक्ति सदनों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'शक्ति सदन योना' विषय पर सुश्री एस.जोतिमणि, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 31.07.2026 उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यशील शक्ति सदनों की ज़िलेवार सूची

क्रम सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील शक्ति सदनों की सं
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	26
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	असम	27
5.	बिहार	16
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	4
8.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0
9.	दिल्ली	2
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	0
12.	हरियाणा	0
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू एवं कश्मीर	2
15.	झारखंड	1
16.	कर्नाटक	40
17.	केरल	8
18.	लद्दाख	0
19.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	0
20.	मध्य प्रदेश	14
21.	महाराष्ट्र	21
22.	मणिपुर	47
23.	मेघालय	3
24.	मिजोरम	12
25.	नागालैंड	6
26.	ओडिशा	68
27.	पुदुचेरी	1
28.	पंजाब	2
29.	राजस्थान	6
30.	सिक्किम	1
31.	तमिलनाडु	46
32.	तेलंगाना	21
33.	त्रिपुरा	5
34.	उत्तराखंड	3
35.	उत्तर प्रदेश	11
36.	पश्चिम बंगाल	36
कुल		**433**

अनुलग्नक-II

'शक्ति सदन योजना' विषय पर सुश्री एस.जोतिमणि, माननीय संसद सदस्य द्वारा पूछे गए 31.07.2026 उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तमिलनाडु राज्य में कार्यशील शक्ति सदनों की ज़िलेवार सूची

राज्य	जिला	कार्यशील शक्ति सदन
तमिलनाडु	चेन्नई	3
	कोयंबटूर	1
	कुड्डालोर	2
	डिंडीगुल	2
	कन्याकुमारी	1
	करूर	1
	कल्लाकुरिची	2
	कृष्णागिरी	1
	मदुरै	1
	नागपट्टिनम	1
	नमक्कल	1
	पेरम्बलूर	1
	पुडुकोट्टई	1
	सलेम	2
	शिवगंगाई	1
	तंजावुर	2
	नीलगिरी	2
	तेनई	1
	तिरुनेलवेली	2
	तिरुवल्लुर	1
	तिरुवन्नमलाई	2
	तिरुवरुर	3
	तिरुचिरापल्ली	1
	तिरूपत्तूर	2
	तिरुपुर	1
	वेल्लोर	1
	विल्लुपुरम	2
	विरुधुनगर	2
	कांचीपुरम	1
	रामनाथपुरम	1
	तेनकासी	1
कुल		**46**